संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

कमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी./2014/ भोपाल, दिनांक

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 04.03.2014 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर परिभ्रमण में शामिल मलेरिया निरीक्षक को सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये 5200–20200 +ग्रेड पे 2800 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन रिक्त पद पर अस्थाई तौर से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता हैं ।

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	श्री पंचमसिंह गोंड (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरोली

नोट –

1. पदोन्नत कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच / अपराधिक प्रकरण लंबित हैं या निलंबित हैं तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
2. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 07 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य हैं। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. संबंधित कर्मचारी के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से भेजना होगा ।
4. पदोन्नत कर्मचारी के समस्त मूल अभिलेखों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण प्रत्र का सत्यापन कराई जाने की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी । सभी प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत ही कार्यमुक्त किया जाना आवश्यक होगा । यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाण–पत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को विशेष डाक द्वारा भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के तहत् निर्धारित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधि निर्देशों का पालन किया गया हैं।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

हस्ता/–
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी./2014/456-R भोपाल, दिनांक 20.06.2014

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
3. अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय।
4. संयुक्त संचालक (मलेरिया) स्थानीय कार्यालय।
5. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सागर/रीवा संभाग मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह/सिंगरोली मध्यप्रदेश।
8. जिला मलेरिया अधिकारी दमोह/सिंगरोली मध्यप्रदेश।
9. संबंधित कर्मचारी, उपरोक्तानुसार पालनार्थ।

20/6/14

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश